


मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)**

पीठासीन अधिकारी :- नीता वसीटा (R.A.S.)

चांदी पलिन नाबु श्रील मिठारु **उनवान** श्रीकर पिठजीनी श्रील
बनाम मिठारु

दावा बाबत :- 53 RTA 1955
मुकदमा नम्बर :- 91/2014
निर्णय दिनांक :- 27/10/2024



वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27/10/24 को नीता वसीटा (नाम पीठासीन
अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, राशमी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश
किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा मिठारु प.0.80 मिठारु की आशिकी
सं. 1710 मीठारु 1.0967 हे० लगान 2.31 रुपया, सं. 1712
मिठारु 0.2995 हे० लगान 1.29 रुपया का शीपी फुज 1/5 चांदी बार्ड पलिन
सं. माधु 1/25, नीली बार्ड पुजी चैना पलिन सं. 1/5, नीली पलिन सं.
द्वारा 1/5, पेसी बार्ड पुजी माधु 1/25 * खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन
करेंगे।

यह आज तारीख 27/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(नीता वसीटा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़



